पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 857 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 08.06.2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0 1199/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25.09.2017 एवं वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 1649/ मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.11.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में पिटकुल में कार्यरत समस्त पूर्ण कालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचरियों को शासनादेश सं0 File No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 22807)/37013/2022 दिनांक 31.05.2022 की अनुरूपता में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुर्ननिर्धारण करते हुए निम्नानुसार संशोधित दर पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2022	मूल वेतन का 34 (चौंतीस) प्रतिशत

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9 (2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन को मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2022 से 31.05.2022 तक के अवशेष (एरियर) मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01.06.2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
4. स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम में निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।
5. कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) से आच्छादित कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के एरियर की धनराशि 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि अभिदान के रूप में करने के पश्चात् शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
6. अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य महंगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (Duty Period) के लिए माना जाता है।

इस आदेशानुसार स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट मुख्यालय, पिटकुल, देहरादून को अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 857 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डाटा एन्ट्री आपरेटर–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0)(औ0सं0)